

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चौदहवां सत्र

मंगलवार, 15 मार्च, 2022/24 फाल्गुन, 1943(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) हिमाचल प्रदेश सरकार; और
- (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति(प्रथम संशोधन) नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:पी0ई0आर0(ए0पी0)-सी-ए(3)-5/2017-लूज़ दिनांक 26.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.03.2022 को प्रकाशित ।

- (2) श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-118(5) के अन्तर्गत पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (3) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम के 46वें वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (4) श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21; और
- (ii) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का लेखा कथन प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 (01-04-2020 से 31-03-2021 तक) ।
- (5) श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 394-395 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21;
- (ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 के की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21;

- (iii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग मूल्यांकन समिति का गठन जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC-H(1)-32/2020-42525/2021 दिनांक 23.03.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.03.2021 को प्रकाशित;
- (iv) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग निगरानी समिति का गठन जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC-H(1)-32/2020-43224/2021 दिनांक 23.03.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.03.2021 को प्रकाशित;
- (v) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग(व्यापार का आचरण) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/151/Vol-III दिनांक 30.03.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.03.2021 को प्रकाशित;
- (vi) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग(क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, अतिरिक्त सरचार्ज और क्रॉस सब्सिडी की चरणबद्धता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/391 दिनांक 9.04.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.04.2021 को प्रकाशित;
- (vii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ग्रिड कोड समीक्षा समिति का पुर्नगठन जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC-H(1)-10/Vol-1/2020-754 दिनांक 30.06.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.07.2021 को प्रकाशित;
- (viii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (सुरक्षा जमा) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC-414/(Security Deposit) दिनांक 09.07.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.07.2021 को प्रकाशित;
- (ix) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत खरीद दायित्व और उसका अनुपालन)(सातवां संशोधन)विनियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC-H(1)-438 दिनांक 15.07.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.07.2021 को प्रकाशित;

- (x) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कनेक्टिविटी का अनुदान, दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के इंटर-स्टेट ओपन एक्सेस और संबंधित मामले)(द्वितीय संशोधन)विनियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/418 दिनांक 11.08.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.08.2021 को प्रकाशित;
- (xi) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्या:HPERC/H(1)-25 दिनांक 08.09.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.09.2021 को प्रकाशित;
- (xii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की सेवा के लिए नियम और शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्या:HPERC-B(3)-1/2020-705-Vol-VII दिनांक 02.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.12.2021 को प्रकाशित;
- (xiii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग सप्लाइ कोड (पांचवा संशोधन)जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/Secy/438 दिनांक 14.01.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.01.2022 को प्रकाशित;
- (xiv) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग वितरण कोड समीक्षा पैनल का पुनर्गठन जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/392-Vol(III)-2022 दिनांक 17.01.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.01.2022 को प्रकाशित;
- (xv) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकायुक्त)(द्वितीय संशोधन)विनियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC-(H)(1)-1/2012 दिनांक 20.01.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.01.2022 को प्रकाशित; और

(xvi) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/A04/1/2022-HPERC-GoHP दिनांक 01.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2022 को प्रकाशित ।

((iii) से (xvi) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति, अधीनस्थ विधायन समिति (वर्ष 2021-22), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
 - (i) समिति का नवम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि तेरहवीं विधान सभा के ग्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायत्तशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और
 - (ii) समिति का दशम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि तेरहवीं विधान सभा के ग्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों/परिनियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है।
- (2) श्री विनोद कुमार, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2021-22), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
 - (i) समिति का 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है; और

- (ii) समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बने 27वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित है।

4. प्रवर समिति का प्रतिवेदन:

श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री एवं सभापति, प्रवर समिति, (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22), हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2021(2021 का विधेयक संख्यांक 6) के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री राकेश जम्वाल, अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "पानी की निकासी न होने से टुटा सुन्दर नगर बस अड्डा" से उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

6. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान:-

वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)
(पृथक सूचियों में कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

7. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

- (i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 4) } लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

- (i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 4) } लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

- (ii) श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3) } विधेयक पर विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iii) श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू-जोत हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 6) अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(दिनांक 10 अगस्त, 2021 को पुरःस्थापित तथा दिनांक 12 अगस्त, 2021 को प्रवर समिति को प्रेषित विधेयक पर पुनः विचार-विमर्श एवं पारण)

(iv) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर हिमाचल प्रदेश नगर निगम(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2) निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(v) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य के हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5) शहरी क्षेत्रों में स्लम क्षेत्रों के स्लम वासियों को भूमि के साम्पत्तिक अधिकार प्रदत्त करते हुए आधारभूत नागरिक सेवाओं की सतत वृद्धि और संसाधनों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करने हेतु, उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

8. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

- (1) श्री रोहित ठाकुर(65-जुब्बल कोटखाई), प्रदेश में वैज्ञानिक तरीके से बर्फ हटाने हेतु अमेरिकन स्नो कटर मशीनों को क्रय करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (2) श्री रोहित ठाकुर(65-जुब्बल कोटखाई), राजबन-शिलाई-मीनस-हाटकोटी राष्ट्रीय राजमार्ग-707 सनैल से हाटकोटी के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (3) श्री रोहित ठाकुर (65-जुब्बल कोटखाई), जुब्बल-कोटखाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत उप-तहसील कलबोग हेतु कार्यालय व आवास की व्यवस्था जनहित में शीघ्रातिशीघ्र करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (4) श्री नरेन्द्र ठाकुर(38-हमीरपुर), मै0 पैन इण्डिया कंसल्टैंटस प्राईवेट लिमिटेड की लगभग दो वर्षों से लम्बित पड़ी धनराशि की अदायगी शीघ्रातिशीघ्र करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (5) श्री रोहित ठाकुर(65-जुब्बल कोटखाई), जुब्बल-कोटखाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एंटी हेल नेट्स को मुख्यमन्त्री ग्रीनहाऊस नवीनीकरण/नूतन पॉलीहाऊस योजनाओं की तर्ज पर पुनः उपदान प्रदान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (6) श्री राकेश सिंघा(61-ठियोग), शिमला शहर में विक्ट्री टनल से लक्कड़ बाज़ार की ओर कार्टरोड पर लग रही रिटेनिंग वॉल पर शीघ्रातिशीघ्र रेलिंग लगवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (7) श्री रोहित ठाकुर (65-जुब्बल कोटखाई), किसानों-बागवानों को मांग अनुरूप खाद उपलब्ध करवाने, मूल्यवृद्धि वापस लेने तथा अप्रमाणित खाद पर कार्रवाई करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (8) श्री रोहित ठाकुर (65-जुब्बल कोटखाई), हिमाचल पथ परिवहन निगम, बस अड्डा, कोटखाई, जिला शिमला की अद्यतन स्थिति बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

- (9) श्रीमती रीता देवी(7-इन्दौरा), विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र इंदौरा के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम की रूटवार बसों की जानकारी उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगी ।
- (10) श्रीमती रीता देवी(7-इन्दौरा), इंदौरा क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों को बिल्डिंग फण्ड शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगी ।
- (11) श्री सतपाल सिंह रायजादा(44-ऊना), प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में पंजाबी भाषा अध्यापकों की पदपूर्ति तथा कार्यरत अध्यापको को नियमित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (12) श्री रोहित ठाकुर (65-जुब्बल कोटखाई), जुब्बल-कोटखाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विद्युत उप-मण्डल सरस्वती नगर के अन्तर्गत दूर-दराज़ व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों/पंचायतों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।
- (13) श्री रोहित ठाकुर(65-जुब्बल कोटखाई), ऊपरी शिमला में बिज़ली के ट्रांसफार्मरों की चोरी रोकने व विद्युत उठाऊ पेयजल/सिंचाई योजनाओं की सुरक्षा करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

शिमला-171004
दिनांक: 14 मार्च, 2022

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)
(विधेयक पर स्वीकृत संशोधन भी प्रस्तुत किए जायेंगे)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

हिमाचल प्रदेश नगर निगम(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2)
जोकि दिनांक 15 मार्च, 2022 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत
संशोधन की सूची:-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub- Clause	Lines	Proposed Amendment
1.	2. Shri Rakesh Singha	3. 3	4. 2	5. -	6. 9	7. for the words, "forty one", the words "thirty four" be substituted.

शिमला-171004
दिनांक: 14 मार्च, 2022

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

****.

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 6 - आबकारी और कराधान

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	1. नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग <u>"आबकारी और कराधान"</u> की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	6

श्री राकेश सिंघा ।

- (1) सरकार की वर्तमान आबकारी नीति का अननुमोदन ।
- (2) सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवाओं के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहायता नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगों

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 9 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

9

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री हर्षवर्धन चौहान,
2. श्री जगत सिंह नेगी,
3. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु,
4. श्री नन्द लाल,
5. श्री राजेन्द्र राणा,
6. श्री मोहन लाल ब्राक्टा,
7. श्री राकेश सिंघा,
8. श्री विक्रमादित्य सिंह,
9. श्री आशीष बुटेल,
10. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल,
11. श्री पवन काज़ल,
12. श्री सतपाल सिंह रायजादा,
13. श्री रोहित ठाकुर,
14. श्री संजय अवस्थी,
15. श्री भवानी सिंह पठानिया ।

1. सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों/दवाईयों की क्रय नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन ।

2. सांकेतिक कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
“स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण”
की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

श्रीमती आशा कुमारी:

मांग संख्या-9 के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र डलहौजी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कीहार व डलहौजी में शवगृह(Mortuary) के निर्माण न कर पाने में सरकार की असफलता।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 10 -लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
--------------	----------------	-------------

नीति का अननुमोदन

10

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए ।

1. श्री जगत सिंह नेगी,
2. श्री हर्षवर्धन चौहान,
3. श्री नन्द लाल,
4. श्री राजेन्द्र राणा,
5. श्री मोहन लाल ब्राक्टा,
6. श्री रोहित ठाकुर,
7. श्री राकेश सिंघा,
8. श्री विक्रमादित्य सिंह,
9. श्री आशीष बुटेल,
10. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर,
11. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल,
12. श्री पवन कुमार काज़ल,
13. श्री भवानी सिंह पठानिया,
14. श्री संजय अवस्थी ।

1. सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, सड़क सुरक्षा के उपाय की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों के कार्यान्वयन की नीति का अननुमोदन ।

2. सांकेतिक कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
‘लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन’
की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

श्रीमती आशा कुमारी:

मांग संख्या-10 के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र डलहौजी में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सम्पर्क सड़क सगोटी, चीरी डराबड, जटरहन को पूर्ण न कर पाने में सरकार की असफलता।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 11- कृषि

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
--------------	----------------	-------------

	1. नीति का अननुमोदन	11
--	----------------------------	-----------

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
“कृषि”
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री राकेश सिंघा ।

1. किसानों के सुदृढीकरण की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की नई सब्जी मण्डियों के निर्माण की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति का अननुमोदन ।
4. कृषि विश्वविद्यालय को सुदृढ करने की नीति का अननुमोदन ।
5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगों

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 12 - उद्यान

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

12

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“उद्यान”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री जगत सिंह नेगी,
2. श्री हर्षवर्धन चौहान,
3. श्री नंद लाल,
4. श्री मोहन लाल ब्राक्टा,
5. श्री रोहित ठाकुर,
6. श्री राजेन्द्र राणा,
7. श्री राकेश सिंघा ।

1. बागवानों के सुदृढीकरण की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की बागवानी तथा बनस्पती फसले एंटी हेन नेट संरचना नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की डा0 वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी को सुदृढीकरण करने की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की राजकीय उद्यानों तथा पौधशालाओं की स्थापना तथा रख-रखाव की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 13 - सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

13

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री हर्षवर्धन चौहान,
3. श्री जगत सिंह नेगी,
4. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल,
5. श्री मोहन लाल ब्राक्टा,
6. श्री राकेश सिंघा,
7. श्री पवन कुमार काज़ल,
8. श्री भवानी सिंह पठानिया ।

1. सरकार की वर्तमान सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की मुख्यमन्त्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना, बाह्य सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट(राष्ट्रीय विकास बैंक) नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की पुरानी पेयजल आपूर्ति योजनाओं का पुनः निर्माण/नवीनीकरण(बाह्य सहायता प्राप्त) नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की विभिन्न जिलों में उठाऊ पेयजल योजना(नाबार्ड) नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 14 - पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u> कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	14

श्री राकेश सिंघा ।

1. सरकार की पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 15 - योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u> कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग <u>“योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम”</u> की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	15

श्री राकेश सिंघा ।

- सरकार की पिछड़ा क्षेत्र योजना नीति का अननुमोदन ।
- सरकार की ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 16- वन और वन्य जीवन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “वन और वन्य जीवन” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	16

1. श्री जगत सिंह नेगी,
2. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल,
3. श्री संजय अवस्थी,
4. श्री राकेश सिंघा ।

1. सरकार की वर्तमान वन नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की जंगली जानवरों से किसानों/बागवानों को निज़ात दिलवाने की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की वानिकी तथा अन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की राष्ट्रीय पार्कों एवं शरणस्थलों के विकास हेतु सहायता की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 20- ग्रामीण विकास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “ग्रामीण विकास” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	20

1. श्री जगत सिंह नेगी,
2. श्री हर्षवर्धन चौहान,
3. श्री आशीष बुटेल,
4. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल ।

1. सरकार की वर्तमान ग्रामीण विकास नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की पंचाती राज संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की ग्राम सेवक कुटीर तथा आवास निर्माण/नवीनीकरण की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की मुख्यमन्त्री युवा आजिविका योजना की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 23- विद्युत विकास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “विद्युत विकास” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	23

श्री राकेश सिंघा ।

1. सरकार की वर्तमान विद्युत विकास नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 26 - पर्यटन और नागर विमानन

सदस्य का नाम कटौती प्रस्ताव मांग संख्या:

नीति का अननुमोदन 26

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
“पर्यटन और नागर विमानन”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री जगत सिंह नेगी,
2. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु,
3. श्री नन्द लाल,
4. श्री राजेन्द्र राणा,
5. श्री मोहन लाल ब्राक्टा,
6. श्री विक्रमादित्य सिंह,
7. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर,
8. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल,
9. श्री भवानी सिंह पठानिया;
10. श्री रोहित ठाकुर ।

1. सरकार की वर्तमान पर्यटन नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की विमानपत्तन(एयरपोर्ट) के निर्माण नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की नई राहे नई मंजिल नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 27- श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	27

श्री राकेश सिंघा ।

- सरकार की वर्तमान श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण नीति का अननुमोदन ।
- सरकार की बंधुआ मजदूरों के पुर्नवास हेतु सहायता नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2022-23 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 32 - अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u> कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	32

श्री राकेश सिंघा ।

सरकार की वर्तमान मुख्यमन्त्री खुम्ब
विकास योजना की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 09.03.2022

सचिव,
विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(चौदहवां सत्र)

मंगलवार, 15 मार्च, 2022/ 24 फाल्गुन, 1943 (शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

मद संख्या

शुद्धियां

अतारांकित प्रश्न

2194

"(b) भाग की प्रथम पंक्ति में is the के स्थान पर "details of the" पढ़ा जाए तथा द्वितीय पंक्ति में how many से पहले "and" जोड़ा गया व बाद में "of the" को विलोप किया गया ।"

शिमला-171004

दिनांक: 14.03.2022

यशपाल शर्मा,

सचिव।
